DR. RAHUL KR PASWAN

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (Bicameral Legislature) —

जिस देश में व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, उसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। यह व्यवस्था ब्रिटिश संवैधानिक विकास की देन है। आज विश्व के प्रायः सभी प्रजातांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। एक सदन को उच्च या द्वितीय सदन (Upper or Second chamber) और दूसरे सदन को निम्न या प्रथम सदन (Lower or First chamber) कहते हैं। जहाँ निम्न सदन में अपेक्षाकृत जनता का प्रतिनिधित्व रहता है, वहाँ द्वितीय सदन में कुछ विशेष वर्गों के स्वार्थों तथा संस्थाओं का ही प्रतिनिधित्व होता है।

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क - (गुण) —

1. स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता पर रोक, —
2. प्रथम सदन के उतावलेपन में पारित विधेयकों में संशोधन, —
3. प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुकूल,
4. विधेयकों पर जनमत निर्माण,
5. प्रथम सदन की सहायता,
6. संघात्मक शासन के अनुकूल,
7. विभिन्न वर्गों के हितों और स्वार्थों का प्रतिनिधित्व,
8. अनुभवी तथा कार्यकुशल
9. पुनर्विलोकन का कार्य
10. विवेकपूर्ण विधि का साधन,

विपक्ष में तर्क (Arguments Against Bicameral Legislature) — बहुत से विद्वानों ने द्विसदनात्मक प्रणाली की आलोचनाएं की हैं। इन्होंने द्वितीय सदन को अनुपयोगी तथा उद्देश्यहीन बताया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने द्विसदनात्मक व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा है "द्विसदनात्मक व्यवस्था ठीक वैसी ही है, जैसे गाड़ी में आगे और पीछे दिशाओं में मुंह करके दो घोड़े जोत दिए जाएं और वे विपरीत दिशाओं में गाड़ी को खींचें।

द्वितीय सदन में विपक्ष में लाए गए तर्कों को निम्नांकित रूप में रख सकते हैं। —

1. लोकप्रभुता और जनप्रभुता की धारणा का विरोधी,
2. एक प्रतिक्रियावादी सदन
3. विलंबकारी संस्था
4. संघर्ष की संभावना
5. न्याय हित की विरोधी
6. धन का अपव्यय
7. संघात्मक व्यवस्था के लिए भी अनावश्यक
8. संगठन संबंधी दोष
9. उत्तरदायित्व का विभाजन।

⇒ व्यवस्थापिका के कार्य (functions of the legislature).

व्यवस्थापिका के कार्य अधिकांशतः सरकार के स्वरूप पर निर्भर करती है। जहाँ प्रजातांत्रिक शासन है, वहाँ व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन, जहाँ निरंकुश शासन है, वहाँ व्यवस्थापिका का विशेष महत्व नहीं होता। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी अध्यक्षात्मक तथा संसदीय सरकारें होती हैं, इसलिए इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका से बिलकुल अलग होती है और कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं —

1. कानून निर्माण संबंधी कार्य (Law-Making functions).

व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना है। कानून बनाकर ही यह राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यह पुराने कानूनों में सुधार करती है तथा नई आवश्यकताओं के संबंध में नए